Outectorate of "shanent Bran 9 जुलाई, 2016

हिमाचल प्रदेश सरकार कृषि विभाग

संख्याः एग्र.ए.–बी.(2)–6 ∕ 2014 तारीख शिमला-2,

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग में सहायक निदेशक(विधि),वर्ग-1(राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न अनुबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम और (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, सहायक निदेशक(विधि),वर्ग–१(राजपत्रित)भर्ती और प्रारम

प्रोन्नति नियम, 2016 है।

2. ये नियम राजपत्र,हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा.

3000

सचिव(कृषि). हिमाचल प्रदेश सरकार तारीख शिमला-२ १९ जुलाई,२०१६

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि ।

21.7.160

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित है:-जिट्रेश का प्रित है:-1. समस्त प्रशासनिक संचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।

- 2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश
- 3. अतिरिक्त मुख्य सचिव(वित्त),हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 4. अतिरिक्त मुख्य सचिव(कार्मिक),हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 5. अतिरिक्त सचिव(सामान्थ प्रशासन),हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 6. संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव(विधि),हिमाचल प्रदेश सरकार. शिमला-171002
- 7. सचिव,हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला -2 को उनके पत्र संख्याः १-6/98-पीएससी-पार्ट,दिनांक २६-०९-२०१५ के सन्दर्भ में ।

-RAT Dige

संयुक्त सचिव(कृषि). हिमाचल प्रदेश सरकार

8. नियन्त्रक ,मुद्रण ਦਕਂ लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-171005 को राजपत्र में प्रकाशन हेतु ।

sma p. late D 221711

3410-4 05

हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग में सहायक निदेशक(विधि),वर्ग-I(राजपत्रित) के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1	पद का नामः	सहायक निदेशक(विधि)
	5	सहायक जिंदराक (पियि)
2	पद(पदों)की संख्याः	(कुछ) 1 0
3	वर्गीकरणः	वर्ग-1(राजपत्रित)
4	वेतनमानः	15600-39100 रुपए जमा
		5400 रूपए ग्रेड पे।
5	चयन पद अथवा अचयन पदः	चयन
6	सीधी भर्ती के लिए आयुः	लागू नहीं
-7	सीधे भर्ती किए जाने वाले	(क) अनिवार्य अर्हता(ए):
	व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए	लागू नहीं ।
	न्यूनतम शैक्षिक और अन्य	(ख) <u>वॉंछनीय अर्हता(ए):</u>
	अर्हताएंः	लागू नहीं
8	सीधे भर्ती किए जाने वाले	(क) आयुः लागू नहीं
	व्यक्तियों के लिए विहित आयु	(ख) शैक्षिक अर्हताः लागू नहीं
	और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत	(or) charas orochis chor doi
e)	व्यक्ति(व्यक्तियों)की दशा में	
	लागू होंगी या नहीं:	2
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		

botas

5.

•	परिवीक्षा की अवधि, चदि कोई हो।	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से		
9	पारवाक्षा का अवाच,बाद पगढ़ का	अनधिक ऐसी और अवधि के लिए		
		विस्तार किया जा सकेगा जैसा		
		सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों		
		में और कारणों को लिखित में		
		अभिलिखित करके आदेश दे।		
		Shelfeliotti area anti-		
		शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न		
10				
		होने पर सैकेण्डमेंट द्वारा		
	सैकेण्डमेंट,स्थानान्तरण द्वारा और			
	विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने			
	वाले पद(पदों) की प्रतिशतताः			
11	प्रोन्नति, सैंकेण्डमेट, स्थानान्तरण	विधि अधिकारी में से प्रोन्नति		
	द्वारा भर्ती की दशा में वे	द्वारा,जिनका दस वर्ष का नियमित		
	श्रेणियां(ग्रेड) जिनसे	सेवाकाल या ग्रेड में की गई		
	प्रोन्नति/सैकेण्डमेट/स्थानान्तरण	लगातार तदर्थ सेवा,यदि कोई हो,		
	किया जाएगाः	को सम्मिलित करके दस वर्ष का		
		नियमित सेवाकाल हो ,ऐसा न होने		
8		पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य		
		विभागों में समरूप पदों पर कार्यरत		
1		और समतुल्य वेतन वाले पदधारियों		
		में से सैकण्डमैंट आधार पर ।		
प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के				
क्षेत्रों में पद (पदा) का एस दात्रा न प्रपाद राज्या के की होगी:				
अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:				
परन्तु उपरोक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा				
जिनव	जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो:			
<u> </u>	$\wedge$			

6 daj.

1)

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/ दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, गेसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार रथानान्तरण किया जाएगा। 16

स्पष्टीकरण–I :– उपरोक्त परन्तुक (1) के लिए जनजातीय/ दुर्गम क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरण–II :– उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:–

जिला लाहौल एवं स्पिति।

चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल।

3. रोहडू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।

 जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।

कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप –मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।

7. जिला किन्नौर।

8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरउ के काठवाइ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाइ-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।

9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के

झारवाइ, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रकिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने--अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरणः– अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपर्व सैनिक है जिसे

डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिज़र्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/ प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति	विभागीय प्रोन्नति समिति की
	विद्यमान है तो उसकी संरचनाः	अध्यक्षता ,अघ्यक्ष हिमाचल प्रदेश
	а. С.	लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा
		नामनिर्दिष्ट इसके किसी सदस्य
		द्वारा की जाएगी।
13	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो
	में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा	
	आयोग से परामर्श किया	
	जाएगाः	
14	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य	लागू नहीं
	अपेक्षाः	
15	सीधी भर्ती द्वारा पद पर	लागू नहीं
	नियुक्ति के लिए चयनः	
and the second sec		

16	आरक्षणः	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश
		सरकार द्वारा, समय-समय पर
3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित
		जनजातियों/ अन्य पिछडे वर्गो और
		अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए
		सेवा में आरक्षण की बाबत जारी
		किए गए आदेशों के अधीन होंगी।
5		
17	विभागीय परीक्षाः	सेवा में प्रत्येक सदस्य को
		समय-समय पर यथा संशोधित
		हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा
		नियम, १९९७ में यथा विहित
		विभागीय परीक्षा उतीर्ण करनी
		होगी।
18	शिथिल करने की शक्तिः	जहां राज्य सरकार की यह राय हो
-00 -2		0
× *		कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है,वहां वह, कारणों को
		लिखित में अभिलिखित करके,
		हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग
-		के परामर्श से, आदेश द्वारा ,इन
		नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध
	e s a	(उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति
		(व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों)
·		की बाबत,शिथिल कर सकेगी।
- 1	***	
at	2	
VOT	2	

(Authoritative English Text of this Government Notification No.Agr-A-B(2)6/2014, dated 19.2.2. 2016 as required under Clause(3) of Article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh Department of Agriculture.

No.Agr A-B(2)6/2014

Dated Shimla 171002, the 19-7-2016

## **NOTIFICATION**

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Assistant Director(Legal), Class-I (Gazetted) in the Department of Agriculture, Himachal Pradesh, as per Annexure-"A" attached to this Notification namely :-Short title and I. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh

commencement:

Agriculture Department, Assistant Director (Legal), Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2016.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By Order

A.11.e

Secretary(Agr.)to the Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. As above, dated Shimla-171002, the 19 - 7 - 2016. Copy is forwarded to the following :-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
- 2. All the Heads of Departments in Himachal Pradesh.
- 3. The Additonal Chief Secretary(Finance) to the Government of H.P.Shimla-2
- 4. The Additonal Chief Secretary(Pers.) to the Government of H.P Shimla-2
- 5. The Additional Secretary(GAD) to the Government of H.P
- 6. The JLR-cum-Joint Secretary(Law opinion) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2
- 7. The Secretary, H.P Public Service Commission, Shimla-2 w.r.t his letter No. 1-6/98-PSC-Part, dated 26.09.2015.
- The Controller, Printing & Stationary, Shimla-171005 for publication in Rajpatra.

# Valealla

Joint Secretary(Agr.)to the Government of Himachal Pradesh.

### ANNEXURE "A"

Assistant Director (Legal)

#### RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSISTANT DIRECTOR(LEGAL), CLASS-I (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE, HIMACHAL PRADESH.

Classification Scale of pay Whether "Selection" post or "Non-Selection post" Age for direct recruitment Minimum Educational and other qualifications required for direct

8 Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotee(s) 9 Period of probation, if

any

recruit(s)

Name of post

Number of posts

01 (One)

Class-I(Gazetted)

Rs. 15600-39100+Rs.5400 Grade Pay.

Not applicable

(a) Essential Qualification(s): Not applicable (b) Desirable Qualification(s): Not applicable

> : Not applicable Age

Educational qualification: Not applicable. .

Two years subject to such further extension for period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be

1600

-

1

2

3

4

5

6

7

### recorded in writing.

Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer basis and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.

10

11

100% by promotion failing which on secondment basis.

In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which promotion/secondment/transfer to be made.

By promotion from amongst the Law Officer who possess 10(ten) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade failing which on secondment basis from amongst the incumbents working on the similar posts and having identical pay scale from other Departments of Himachal Pradesh Government.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal /Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas;

Provided further that the proviso(1) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation-I:- For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal/Difficult areas" shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation-II:- For the purpose of proviso -I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

- 1. District Lahaul & Spiti.
- 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
- 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.
- 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
- 5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
- 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
- 7. District Kinnaur.
- 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai, in Sirmaur District.
- 9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chuini, Kalipar, Mangrah, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.
- (1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules;

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him /her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum



qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R& P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where as person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him /her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;

- Explanation:- The last proviso shall not render the junior incumbent (s) ineligible for consideration for promotion if senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3of the Demobilized Armed Forces Personnel(Reservation of vacancies in Himachal State Non – Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisons of rule-3 of the Ex-Serviceman(Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.
- 2)Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account ttowards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provison of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

- 12
- If a departmental committee, exists, what is its composition?

D.P.C. to be presided over by the Chairman, Himachal Pradesh Public Service Commission or a Member thereof to be nominated by him.

13 Circumstances under which the H.P. P.S.C. is to be consulted in making recruitment. As required under the Law.

14 Essential requirements for a direct recruitment

Not applicable

16m

24

15 Selection for appointment to post by direct recruitment

16 Reservation

17 Departmental Examination

18 Powers to Relax

Not applicable

The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

Jour